न्यायालय जिला कलेक्टर, दौसा

पीठासीन अधिकारी – देवेन्द्रकुमार

आई०ए०एस०

राजस्व अपील सं0 26 / 2021

1. बाबूलाल पुत्र रामसहाय
2. प्रभूदयाल पुत्र रामसहाय
3. लल्लू पुत्र रामसहाय
4. संतोष पुत्र घासी
5. सतीश पुत्र घासी
6. ज्याना पत्नि घासी

   समस्त जाति कोली निवासी खरताला तहसील सैंथल जिला दौसा
7. बीना पुत्री घासी पत्नि शम्भूदयाल जाति कोली निवासी ठीकरिया तहसील नांगल राजावतान
8. सरोज पुत्री घासी पत्नि इन्द्राज जाति कोली निवासी लालपुरा तहसील लवाण
9. छोटी पुत्री घासी पत्नि रामचरण जाति कोली निवासी सूरजपोल मंडी जयपुर
10. गुड्डी पुत्री घासी पनि राजेश जाति कोली निवासी सूरजपोल मंडी जयपुर
11. आरती पुत्री घासी जाति कोली निवासी खरताला तहसील सैंथल जिला दौसा

......अपीलांट्स

बनाम

1. जगदीश पुत्र कालू
2. गंगाधर पुत्र रघुनाथ
3. किशोर पुत्र भंवरलाल उर्फ भौरया
4. नोरतीलाल पुत्र मंगला उर्फ भोंरया
5. रमेश पुत्र भवरलाल उर्फ भौरया
6. विनोद पुत्र भंवरलाल उर्फ भोरया
7. बिहारीलाल पुत्र मांगीलाल
8. अर्जुन पुत्र मांगीलाल
9. बाबुलाल पुत्र मांगीलाल
10. छोटेलाल पुत्र मांगीलाल
11. होशियारसिंह पुत्र मांगीलाल
12. यशपाल पुत्र मांगी लाल
13. रूकमणी पत्नि जगदीश
14. रामबाबू पुत्र किशनलाल

    समस्त जाति कोली निवासी खरताला तहसील सैंथल जिला दौसा
15. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार दौसा

...रेस्पो0

अपील विरूद्व आदेश सहायक भूप्रबन्ध अधिकारी मुख्यालय जयपुर दिनांक 27.12.82 जो पर्चा खतौनी भूप्रबन्ध विभाग ग्राम खरताला खसरा नंबर 87 लगायत 96 व 98 की पुश्त पर पारित किया गया है

उपस्थित : 1 श्री विनोद कुमार विजय अधिवक्ता अपीलांट्स की ओर से।
2. श्री द्वारका प्रसाद शर्मा अधिवक्ता रेस्पो0 1 ता 14 की ओर से।
3 श्री राजेश कुमार शर्मा, राजकीय अधिवक्ता

Signature Not Verified
Digitally signed by Devendra Kumar
Date: 2025.01.08 12:39:14 IST
Reason: SelfAttested

निर्णय

दिनांक 05.12.2024

1. संक्षिप्त विवरण अपील इस प्रकार है कि सहायक भू– प्रबंध अधिकारी, जयपुर ने दिनाक 27.12.

जिला कलेक्टर, दौसा

1982 को ग्राम खरताला के आ0ख0न0 87 से 96 व 98 रेस्पो0 एवं उनके पूर्वजों की खातेदारी में बतौर खातेदार दर्ज कर खसरा परिशोधन पत्र में इन्द्राज कर दिया गया। इसी आदेश से असंतुष्ट होकर यह अपील पेश की गई है।

2. अपील दर्ज रजिस्टर की गयी। रेस्पो0 को तलब किया गया । अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली मंगवाई गई। उभयपक्ष अधिवक्तागण की बहस सुनी गई।

3. अधिवक्ता अपीलांट्स ने अपील मीमों में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए दलील दी कि वाके ग्राम खरताला में स्थित कृषि भूमि साबिक खसरा नंबर 60/154 रकबा 4 बीघा 10 बिस्वा का खातेदार व काबिज काश्तकार अपीलान्ट नंबर 1 लगा.3 का पिता रामसहाय पुत्र बालू कोली निवासी खरताला था। सेटलमेन्ट के दौरान उक्त भूमि खसरा नंबर 60/154 रकबा 4 बीघा 10 बिस्वा से नये नंबर खसरा नंबर 87 रकबा 0.10है०, खसरा नंबर 88 रकबा 0.04 है०, खसरा नंबर 89 रकबा 0.05 है०, खसरा नंबर 90 रकबा 0.04 है०, खसरा नंबर 91 रकबा 0.04है०, खसरा नंबर 92 रकबा 0.23 है० खसरा नंबर 93 रकबा 0.14है०, खसरा नंबर 94 रकबा 0.14 है0, खसरा नंबर 95 रकबा 0.12है०, खसरा नंबर 96 रकबा 0.13 है0, खसरा नंबर 98 रकबा 0.13है० कुल किता 11 कुल रकबा 1.16 है0 कायम किये है। उक्त रामसहाय पुत्र बालु जाति कोली निवासी खरताला की मृत्यु हो गई है और अपीलान्ट उक्त रामसहाय पुत्र बालु के वारिस है। उक्त संपूर्ण भूमि पर पहले अपीलान्ट नंबर 1 लगायत 3 के पिता रामसहाय का कब्जा था और उसकी मृत्यु के बाद अपीलान्ट नंबर 1 लगायत 6 का कब्जा है। भंवरलाल के पिता का नाम पांचू था, रघुनाथ के पिता का नाम मंगलराम था, मांगीलाल के पिता का नाम आनन्दा था और जगदीश के पिता का नाम कालु है तथा गंगाधर के पिता का नाम रघुनाथ है। उक्त सभी कोली जाति के है एवं खरताला के रहने वाले थे। भंवरलाल उर्फ भौरया के बाप का नाम पांचू है। रघुनाथ के बाप का नाम मंगलराम है। मांगीलाल के बाप का नाम आनन्दा है। जगदीश के बाप का नाम कालू है, गंगाधर के बाप का नाम रघुनाथ है इसका प्रमाण पंचायत मतदाता सूची 2004 ग्राम खरताला संलग्न प्रस्तुत है जिसमें इनके पिता का नाम दर्ज है व साथ ही हाशियारसिंह द्वारा पटवारी हल्का को प्रस्तुत शपथ पत्र में भी मांगीलाल के पिता का नाम आनन्दा ही दर्ज किया है और जो मृत्यु प्रमाण पत्र जारी हुआ है वह भी मांगीलाल पुत्र आनन्दा के नाम से ही जारी हुआ है। अपीलान्ट नंबर 1 लगायत 3 के पिता रामसहाय पुत्र बालु के कोई भाई नहीं थे और रामसहाय अकेला ही था। सेटलमेन्ट अधिकारियों व कर्मचारियों को जमाबन्दी की पूर्ववत एन्ट्री को ही नई जमाबन्दी में अंकित करने का अधिकार था। सेटलमेन्ट अधिकारियों व कर्मचारियों को एन्ट्री परिवर्तन करने का कोई अधिकार नहीं था। किन्तु भंवरलाल पुत्र पांचु, रघुनाथ पुत्र मंगलाराम, मांगीलाल पुत्र आनन्दा, जगदीश पुत्र कालु, गंगाधर पुत्र रघुनाथ जाति कोली निवासी खरताला ने षडयंत्र रचकर जालसाजी करके और अपीलान्ट नंबर 1 लगायत 3 के पिता की उक्त भूमि को हडपने के उद्देश्य से सेटलमेन्ट अधिकारी व कर्मचारियों से मिलीभगत कर और अपीलान्ट नंबर 1 लगायत 3 के पिता की जानकारी में दिये बिना सुनवाई व सबूत का अवसर दिये बिना अपीलान्ट नंबर 1 लगायत 3 के पिता रामसहाय की फर्जी अंगूठा निशानी लगाकर और उक्त भंवरलाल, रघुनाथ, भागीरथ, जगदीश, गंगाधर दीगर के पुत्र होने के बावजूद भी अपीलान्ट नंबर 1 लगायत 3 के पिता रामसहाय के फर्जी भाई बनकर और उनके पिता के नाम दीगर होने के बावजूद भी बालू के पुत्र बनकर और फर्जी तरीके से अपीलान्ट नंबर 1 लगायत 3 के पिता [illegible] सान पहुँचाने के लिए और अपीलान्ट नंबर 1 लगायत 3 के पिता की उक्त भूमि [illegible] फर्जी आदेश सेटलमेन्ट कर्मचारी एवं अधिकारियों से दिनांक 27.12.82 को [illegible] में करवाकर और उक्त भूमि की खातेदारी में अपीलान्ट नंबर 1 लगायत 3 के पिता के नाम के साथ फर्जी रिकार्ड बनाकर और फर्जी तरीके से अपीलान्ट नंबर 1 लगायत 3 के पिता के भाई न होने के बावजूद भी अपीलान्ट नंबर 1 लगायत 3 के पिता के भाई एवं बालू के पुत्र न होने के बावजूद भी बालू के पुत्र बनकर और उक्त भूमि की खातेदारी में अपीलान्ट नंबर 1 लगायत 3 के पिता के साथ प्रत्येक

Signature Not Verified
Digitally signed by Devendra Kumar
Date: 2025.01.08 12:39:14 IST
Reason: SelfAttested

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

Dwendr
जिला कलेक्टर, दौसा

ने अपना 1/6 हिस्से में नाम फर्जी तरीके से जुडवाकर और अपीलान्ट नंबर 1 लगायत 3 के पिता को नुकसान पहुंचाने के लिए मिलीभगत से जालसाजी कर फर्जी रिकार्ड बना लिया और उक्त फैसला मिलीभगत से दिनांक 27.12.82 की तारीख में करवा लिया। उक्त में से भंवरलाल पुत्र पांचू व रघुनाथ पुत्र मंगलराम व मांगीलाल पुत्र आनन्दा की मृत्यु हो चुकी है। भंवरलाल पुत्र पांचू के रेस्पोडेन्ट नंबर 3 लगायत 6 पुत्र है तथा रघुनाथ पुत्र मंगलराम का पुत्र रेस्पोडेन्ट नंबर 2 है तथा मांगीलाल पुत्र आनन्दा के पुत्र रेस्पोडेन्ट नंबर 7 लगायत 12 है। गंगाधर पुत्र रघुनाथ रेस्पोडेन्ट नंबर 2 रघुनाथ पुत्र मंगलराम का पुत्र है। रेस्पोडेन्ट जगदीश पुत्र कालू ने उक्त फर्जी इन्द्राज के आधार पर उक्त भूमि का 1/6 हिस्सा अपने आपको जगदीश पुत्र कालू होने के बावजूद भी जगदीश पुत्र बालू बनकर के और फर्जी तरीके से उक्त भूमि के 1/6 हिस्से को अपनी पत्नि रूकमणी रेस्पोडेन्ट नंबर 13 के नाम करवा दिया जो फर्जी है क्योंकि जगदीश पुत्र कालू है उसने अपने आपको फर्जी तरीके से जगदीश पुत्र बालू बताकर के और अपनी पत्नि रूकमणी के नाम फर्जी इन्द्राज करवाया है। गंगाधर पुत्र रघुनाथ ने उक्त फर्जी इन्द्राज के आधार पर अपने आपको गंगाधर पुत्र बालू बताकर और उक्त भूमि का एक फर्जी विक्रय पत्र रेस्पोडेन्ट नंबर 14 रामबाबू के नाम तस्दीक करवा दिया तथा उनका फर्जी रिकार्ड बनवा दिया। उक्त सहायक भू प्रबन्ध अधिकारी के फैसले दिनांक 27.12.82 की अपीलान्ट व अपीलान्ट नंबर 1 लगायत 3 के पिता रामसहाय को कतई जानकारी नहीं थी। निर्णय अधीनस्थ न्यायालय विधि विरूद्व प्रक्रिया नियमो के विपरीत होने के कारण निरस्तनीय है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलान्ट नंबर 1 लगायत 3 के पिता रामसहाय को सुनवाई व सबूत का अवसर दिये बिना उसकी फर्जी निशानी करके और मिलीभगत से बिना कोई जांच किए बिना और बिना मौके पर कब्जे आदि की जांच किए बिना उक्त निर्णय पारित किया है अतः निर्णय अधीनस्थ न्यायालय निरस्तनीय है। अपीलान्ट नंबर 1 लगायत 3 के पिता रामसहाय पुत्र बालू के कोई भाई नहीं था और उक्त रामसहाय ने कोई निर्णय पारित नहीं करवाया उक्त रामसहाय की फर्जी अंगुठा निशानी लगाकर मिलीभगत से उक्त निर्णय पारित करवाया है। उक्त निर्णय भंवरलाल पुत्र पांचु, रघुनाथ पुत्र मंगलराम, मांगीलाल पुत्र आनन्दा, जगदीश पुत्र कालू, गंगाधर पुत्र रघुनाथ जाति कोली निवासी खरताला को फर्जी तरीके से मिलीभगत से बालू का पुत्र बताकर और उक्त निर्णय पारित किया है अतः निर्णय अधीनस्थ न्यायालय निरस्तनीय है। उक्त संपूर्ण भूमि पर पहले रामसहाय पुत्र बालू का कब्जा था उसकी मृत्यु के बाद अपीलान्ट नंबर 1 लगायत 6 का कब्जा है। अधीनस्थ न्यायालय ने कब्जे की जांच किये बिना उक्त निर्णय पारित किया है जो निरस्त योग्य है। अपीलान्ट नंबर 1 लगायत 3 के पिता व अपीलान्ट को व परिवारजन को उक्त निर्णय दिनांक 27.12.82 की व उसके आधार पर किये गए फर्जीवाडे जालसाजी फर्जी रिकार्ड बनाने फर्जी इन्द्राज कराने के संबंध में जानकारी नहीं थी। सर्वप्रथम दिनांक 19.07.2021 को अपीलान्ट बाबूलाल आगामी फसल करने हेतु अपनी उक्त भूमि को झाड आंकडे काटकर ठीक कर रहा था कि रेस्पोडेन्ट नंबर 3 लगायत 6 मौके पर आये और अपीलान्ट बाबूलाल को धमकी दी कि उक्त भूमि में हमारे पिता का भी हिस्सा है उक्त भूमि में तुम्हारा मात्र छठा हिस्सा है। उक्त भूमि में हम जबरन कब्जा करके और मकान बनायेगें। अपीलान्ट बाबूलाल ने उक्त लोगों से कहा कि तुम्हारा उक्त भूमि से क्या लेना देना है तुम उक्त भूमि में मकान कैसे बना सकते हो तो उक्त लोगों ने धमकी दी कि उक्त भूमि में सेटलमेन्ट के दौरान हमारे पिता व अन्य लोगों ने उक्त भूमि में नाम जुडवा लिया है इसलिए अब हम उक्त भूमि में वर्तमान रिकार्ड में जितना हमारा नाम दर्ज हो रहा है उतनी भूमि को हडपेगें तो अपीलान्ट बाबूलाल ने उक्त लोगों को समझा बुझाकर भेजा और पटवारी हल्का से जानकारी की तो पटवारी हल्का ने बताया कि इस भूमि में तुम्हारा 1/6 हिस्सा ही दर्ज है शेष हिस्सा अन्य लोगों के नाम दर्ज हो रहा है जिसमें से मांगीलाल पुत्र आनन्दा की मृत्यु होना उसके वारिसो ने बताया है और होशियारसिंह ने नामन्तरकरण खोलने हेतु शपथ पत्र दिया है तब उक्त पटवारी हल्का से उक्त शपथ पत्र एवं मृत्यु प्रमाण पत्र की फोटो प्रति ली ओर पटवारी

सत्यमेव जयते Web Copy - Not Official

Signature Not Verified
Digitally signed by Devendra Kumar
Date: 2025.01.08 12:39:14 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलेक्टर, दौसा

ने बताया कि इनका नाम कैसे जुडा है कैसे फर्जीवाडा हुआ है इसकी सारी जानकारी दौसा रिकार्ड रूम से करो और पटवारी ने यह भी कहा कि भंवरलाल पुत्र पांचू की भी मृत्यु हो गई उसका भी नामान्तरकरण खोलने हेतु रेस्पोडेन्ट नंबर 3 लगायत 6 ने मुझसे कहा है तब अपीलान्ट बाबूलाल दिनांक 20.07.2021 को अपने पुत्र विनोद कुमार को लेकर और दौसा आया तथा उक्त फर्जीवाडे बाबत रिकार्ड रूम में तलाश किया तो मालूम पड़ा कि उक्त फर्जी रिकार्ड दिनांक 27.12.82 की तारीख में मलीभगत से अपीलान्ट नंबर 1 लगायत 3 के पिता का फर्जी अंगूठा लगाकर और सेटलमेन्ट अधिकारी व कर्मचारियों के मिलीभगत से उक्त निर्णय दिनांक 27.12.82 को करवाकर फर्जी रिकार्ड बनाया है तथा फर्जी तरीके से उक्त रिकार्ड बनाकर और गंगाधर पुत्र रघुनाथ ने गंगाधर पुत्र बालू बनकर और उक्त भूमि का विक्रय पत्र रेस्पोडेन्ट रामबाबू के नाम कराया है एवं रेस्पोडेन्ट जगदीश पुत्र कालू ने अपने आपको जगदीश पुत्र बालू बताकर और अपनी पत्नि के नाम रिकार्ड बनवा दिया है जो समस्त रिकार्ड फर्जी है। तब अपीलान्ट ने अपने पुत्र विनोद कुमार के जरिए उक्त फर्जीवाडे जिस पर्चा खतौनी पर दिनांक 27.12.82 की तारीख में किया गया है उसकी नकल एवं मिलान क्षेत्रफल की नकल तथा अपीलान्ट नंबर 1 लगायत 3 के पिता के नाम खुले गैर खातेदारी की नकल एवं खातेदारी की नकल व जमाबन्दी की नकल हेतु दिनांक 20.07.2021 को ही आवेदन पत्र प्रस्तुत किया जिस पर नकल तैयार होकर दिनांक 20.07.2021 को मिली तब अपीलान्ट बाबूलाल को उक्त समस्त फर्जीवाडे का ज्ञान हुआ तथा बाबूलाल द्वारा बताने पर अन्य अपीलान्ट को ज्ञान हुआ। इससे पूर्व अपीलान्ट को एवं अपीलान्ट नंबर 1 लगायत 3 के पिता को उक्त निर्णय दिनांक 27.12.82 एवं फर्जीवाडे का कतई ज्ञान नहीं था। उक्त जानकारी होते ही जालसाजी का केस किया और वकील नियुक्त कर अपील तैयार कराकर अपील पेश की जा रही है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार फरमाई जाकर निर्णय अधीनस्थ सहायक भू प्रबंध अधिकारी दिनांक 27.12.1982 जो पर्चा खतौनी ग्राम खरताला की पुश्त पर पारित किया गया है को निरस्त फरमाया जाकर और उक्त भूमि पर अपीलांट का नाम बतौर खातेदार काश्तकार अंकित करने का आदेश फरमाया जावे।

4. अधिवक्ता रेस्पों0 सं. 1 सं 14 ने बहस में कथन किया कि अपीलांट्स रामसहाय पुत्र बालू के उत्तराधिकारी नहीं है। बल्कि अपीलांट रामसहाय पुत्र मंगला के वारिस है। अधिवक्ता रेस्पों0 ने अपने कथन के समर्थन में वर्ष 1988 दौसा विधानसभा क्षेत्र के ग्राम खरताला भाग सं0 24 की मतदाता सूची की प्रति प्रस्तुत कर अवगत कराया कि मतदाता क्रमांक:914 घर सं0 71 पर रामसहाय पुत्र मंगला का नाम अंकित है तथा क्रमांक:916 पर अपीलांट बाबूलाल का तथा क्रमांक:918 पर अपीलांट नं0 4 से 11 के पिता घासी का नाम अंकित है। साथ ही अपीलांट ज्याना का नाम भी क्रमांक:919 पर है इसके अतिरिक्त अपीलांट प्रभू व लल्लू का नाम भी क्रमशः 920 व 922 पर अंकित है। उक्त समस्त व्यक्तियों के नाम मतदाता सूची के घर सं0 71 में दर्ज है। इससे स्पष्ट प्रमाणित होता है कि अपीलांट रामसहाय पुत्र बालू के वारिस न होकर रामसहाय पुत्र मंगला के वारिस है। वर्ष 1984 की मतदाता सूची के पृष्ट सं0 8 के क्रम सं0 787 पर अपीलांट बाबूलाल के पिता का नाम रामसहाय दर्ज है। उसमें भी रामसहाय के पिता का नाम मंगला दर्ज है तथा इसी मतदाता सूची के क्रम सं0 788 पर अपीलांट की माता का नाम तथा 789 पर अपीलांट बाबूलाल का नाम 793 पर अपीलांट प्रभूदयाल तथा 791 पर अपीलांट 4 से 11 के पिता/पति का नाम तथा [illegible] अपीलांट ज्याना का नाम दर्ज रिकार्ड है। अधिवक्ता रेस्पों. सं. 1 से 14 ने [illegible] की मृत्यु प्रमाण पत्र की छाया प्रति प्रस्तुत की उसमें भी [illegible] का नाम मतदाता सूच के क्रमांक 915 पर दर्ज है। जिससे साफ प्रमाणित होता है कि अपीलांट्स रामसहाय पुत्र बालू के वारिस न होकर रामसहाय पुत्र मगला के वारिस है। दिनांक 5.8.1986 को रामसहाय पुत्र बालू ने स्टांप राशि 5/-रू. पर यह इबारत निष्पादित की थी कि अपील में दर्ज आराजी पर पांचूराम पुत्र मंगला, कालू पुत्र मंगला, रघुनाथ पुत्र मंगला, रामसहाय पुत्र बालू, मांगीलाल पुत्र आनन्दा,

Signature Not Verified
Digitally signed by Devendra Kumar
Date: 2025.01.08 12:39:14 IST
Reason: SelfAttested
सत्यमेव जयते Web Copy - Not Official
जिला कलेक्टर, दौसा

कशन्या पुत्र मंगला की उक्त आराजी पर बराबर का हिस्सा होगा अर्थात उक्त वर्णित व्यक्तियों में से प्रत्येक का हिस्सा उक्त आराजी पर 1/6 हिसा होगा। इसी इबारत में यह भी अंकित किया है कि रामसहाय पुत्र बालू ने इस भूमि पर कुआ कोठी बनाने में लगा खर्च 3500/– रूपये प्राप्त करना स्वीकार किया है तथा इसी समझौते के अनुसरण में राजस्व कर्मचारियों के समक्ष बयान देकर अंगूठा निशानी लगाकर राजस्व रिकार्ड में त्रृटिवश अपने नाम दर्ज उक्त आराजी की खातेदारी को उक्त वर्णित व्यक्तियों में समान रूप से विभक्त करवा दी। उक्त समझौता दिनांक 5.8.1986 गांव के पंच पटेलों के समक्ष निष्पादित की गई थी जिस पर पंच पटेलों के भी हस्ताक्षर है। यह स्पष्ट प्रमाणित होता है कि रामसहाय पुत्र बालू ने अपनी मर्जी से अंगूठा निशानी लगाकर उक्त आराजी को अपनी सहमति से समान भागों में अपने सह हिस्सेदारों में विभक्त करवाया गया था। इस तरह सैटलमेंट कर्मचारियों द्वारा दिनांक 27.12.1982 को पारित आदेश पूर्णतया वैध है। अपील में वर्णित आराजी पांचूराम पुत्र मंगला, कालू पुत्र मंगला, रघुनाथ पुत्र मंगला, रामसहाय पुत्र बालू, मांगीलाल पुत्र आनन्दा, कशन्या पुत्र मंगला की शामलाती कृषि भूमि थी जिसकी खातेदारी सहवन से रामसहाय पुत्र बालू के नाम दर्ज हो गई थी। रामसहाय पुत्र बालू ने राजस्व कर्मचारियों के समक्ष अपने बयान दर्ज कर तथा अपने अंगूठा निशानी लगाकर पंच फैसला दिनांक 5.8.1986 के अनुसरण में उक्त व्यक्तियों के नाम बराबर हिस्से में दर्ज करवा दी। अपीलांट का यह कथन सरासर गलत है कि रेस्पों. व इनके पूर्वजों ने फर्जी अंगूठा निशानी लगाकर तथा राजस्व कर्मचारियों से साठ गांठ कर अपने नाम खातेदारी दर्ज करवाई है। माननीय न्यायालय को यह भी देखना अनिवार्य है कि अपीलांट को अपील प्रस्तुत करने का अधिकार किस तरह प्राप्त हुआ। अपीलांट ने अपने आपको मृतक रामसहाय पुत्र बालू का वारियान बताया है जबकि रेस्पों. की ओर से प्रस्जुज मतदाता सूची मृत्यु प्रमाण पत्र व लिखावट से स्पष्ट होता है कि अपीलांट रामसहाय पुत्र बालू के वारिसान नहीं है। जब अपीलांट रामसहाय पुत्र बालू के वारिसान ही नहीं है तो अपीलांट को अपील प्रस्तुत करने का कोई अधिकार ही नही है। उक्त वर्णित आराजी की खातेदारी विधिक प्रक्रिया से रेस्पों. व उनके पूर्वजों के नाम दर्ज हुई थी जिसमें हस्तक्षेप का कोई न्यायोचित आधार नहीं है। अतः अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील मय हजा खर्चा निरस्त फरमाई जावे।

5. राजकीय अधिवक्ता ने बहस में दलील दी कि सहायक भू प्रबंध अधिकारी जयपुर द्वारा पारित विधिक प्रकिया अपनाई जाकर निर्णय पारित किया गया है जो पूर्णतया विधिसम्मत है जिसमें हस्तक्षेप किया जाना न्यायोचित नहीं है। अपील अपीलांटस खारिज फरमाई जावे।

6. हमने अधिवक्ता अपीलांट्स व राजकीय अधिवक्ता की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया।

7. इस प्रकरण में सर्वप्रथम यह प्रकरण सहायक भू प्रबंध अधिकारी एवं सहायक भू अभिलेख अधिकारी के निर्णय दिनांक 27.12.1982 के विरूद्ध दिनांक 29.7.2021 को प्रस्तुत किया गया है जो कि लगभग 38 वर्ष बाद प्रस्तुत किया गया है जबकि मियाद (Limitation) 30 दिवस का ही होता है। उक्त आदेश में जो कि दिनांक 27.12.1982 को प्रसारित किया गया था में रामसहाय के भी हस्ताक्षर है। अतः उन्हें भी इस आदेश के बारे में तत्समय भी जानकारी थी।

8. अपीलांट द्वारा यह कथन किया गया है कि रामसहाय के फर्जी अंगूठा लगाये गये है। इस संबंध में हमने सहायक भू प्रबंध अधिकारी एवं सहायक भू अभिलेख अधिकारी के आदेश दिनांक 28.12.1982 का अवलोकन किया जो कि मजमे आम में जारी किया गया था। जिस पर गांव के सरपंच/पंच के हस्ताक्षर/अंगूठा निशानी एवं सहायक भू प्रबंध अधिकारी के भी हस्ताक्षर है। ऐसे में प्रथम दृष्ट्या उक्त दस्तावेज को गलत मानना या यह मानना कि रामसहाय के फर्जी हस्ताक्षर है, न्यायोचित नहीं है। अपीलांट द्वारा अपने कथन के पक्ष में किसी प्रकार का कोई साक्ष्य दस्तावेज भी प्रस्तुत नहीं किया गया है। आदेश सहायक भू प्रबंध एवं सहायक भू अभिलेख अधिकारी दिनांक 27.12.1982 इस प्रकार है:–

Signature Not Verified
Digitally signed by Devendra Kumar
Date: 2025.01.08 12:39:14 IST
Reason: SelfAttested

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

Devendra
जिला कलेक्टर, दौसा

" आज मजमे आम में खातेदार रामसहाय पुत्र बालू ने उपस्थित होकर जाहिर किया कि इस खाते में मेरा ही नाम अंकित है जबकि मेरे छोटे भाई भंवरलाल, रघुनाथ, मांगीलाल, जगदीश, गंगाधर का भी समान भाग दर्ज होना चाहिए। मेरे पांचों भाई इस खाते की भूमि पर अपने हक के अनुसार काबिज रहकर काश्त कर रहे है। इसलिए मेरे भाईयों का भी हिस्सा दर्ज किया जावे। मुझे किसी प्रकार की आपत्ति नहीं है। मैं सहर्ष सहमत हूँ। इसकी पुष्टि एवं एवं सहमति ग्राम के उपस्थित कृषक समुदाय ने करके जाहिर किया कि रामसहाय के छोटें भाईयों का भी बराबर हिस्सा दर्ज होना चाहिए। अतः इस खाते की भूमि पर रामसहाय, भंवरलाल, रघुनाथ, मांगीलाल, जगदीश, गंगाधर पि. बालू हिस्सा बराबर कौम कोली सा0देह खातेदार दर्ज किया जावे। आज्ञा सुनाई। " उक्त आदेश मजमें आम में जारी किया गया था जिस पर रामसहाय के अंगूठा निशानी है एवं सरपंच/पंच के हस्ताक्षर/अंगूठा निशानी है। किसी भी व्यक्ति के वारिसान के संबंध में पंच/सरपंच एवं मजमें आम में जानकारी करना एक विधि अनुरूप प्रक्रिया है।

9. हमने रेस्पों0 द्वारा प्रस्तुत वर्ष 1994 की निर्वाचक नामावली का अवलोकन किया जिसकी प्रविष्टि इस प्रकार है:-

878	रामसहाय/मंगला	पु.	53
788	मांगी/रामसहाय	स्त्री	49
789	बाबूलाल/रामसहाय	पु.	36
790	नारायणी/बाबूलाल	स्त्री	34
791	घासी/रामसहाय	पु.	32
792	ज्याना/घासी	स्त्री	30
793	प्रभूदयाल/रामसहाय	पु.	22

10. साथ ही एक मृत्यु प्रमाण पत्र दिनांक 9.9.2021 का प्रस्तुत किया गया जिसमें मृतक का नाम रामसहाय पिता का नाम मंगलाराम एवं पत्नि का नाम मांगी देवी अंकित है।

11. इस अपील में अपीलांट बाबूलाल पुत्र रामसहाय, प्रभूदयाल पुत्र रामसहाय, ज्याना पत्नि घासी, एवं घासी के वारिसान द्वारा यह अपीइल प्रस्तुत की गई है जिसे प्रथम दृष्टया यह प्रतीत होता है कि यह अपील रामसहाय पुत्र बालू प्रस्तुत नहीं की जाकर रामसहाय पुत्र मंगला द्वारा प्रस्तुत की गई है। जिनका उक्त विवादित आराजी से कोई लोकोस्टैण्डाई नहीं है।

12. उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट खारिज की जाती है। सहायक भू-प्रबंध अधिकारी, जयपुर द्वारा खसरा परिशोधन पत्र सं0 10 पर जारी आदेश दिनाकं 27.12.1982 यथावत बहाल रखा जाता है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली निर्णय की प्रति सहित वापिस लौटायी जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो। बाद पूर्ति पत्रावली प्रविष्ठ लेख भण्डार हो।

Devendra

(देवेन्द्र कुमार)

जिला कलक्टर, दौसा

जिला कलक्टर, दौसा

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

निर्णय आज दिनांक 05 दिसंबर, 2024 को [illegible] जाकर मेरे हस्ताक्षरित एवं न्यायालय की मुद्रांकित खुले न्यायालय सुनाया गया। [illegible] न्यायालय में 30 दिवस के भीतर की जा सकेगी।

Signature Not Verified
Digitally signed by Devendra Kumar
Date: 2025.01.08 12:39:14 IST
Reason: SelfAttested

Devendra

(देवेन्द्र कुमार)

जिला कलक्टर, दौसा

जिला कलक्टर, दौसा